

२.२८

परियोजना का नाम :-

पीपनाकोला-रणकुना-गोहाली
(14.500 किमी.), 4.185 है ०।

मोटर

मार्ग

का

निर्माण।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

पट्टा निर्माण १५८
सेविसमा

हसायात्रा
सल्ट

४०/-
प्रभागीय वनाधिकारी

उप जिला अधिकारी
सल्ट
जिला-अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

वन क्षेत्र अधिकारी,
जरोड़ी रेज
अल्मोड़ा वन अधिकारी

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

वन क्षेत्र अधिकारी,
जरोड़ी रेज
अल्मोड़ा वन अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा